भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

******

नई दिल्ली, 27 नवंबर, 2025

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

सीबीडीटी ने विदेशी परिसंपत्तियों के संबंध में स्वैच्छिक अनुपालन को मजबूत करने के लिए दूसरी एनयूडीजीई पहल शुरू की

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार के उद्देश्य से अपने डाटा-संचालित, गैर-हस्तक्षेपकारी और करदाता-केंद्रित उपायों को मज़बूत करना जारी रखे हुए हैं। "मार्गदर्शन और सक्षम करने के लिए डाटा का गैर-हस्तक्षेपकारी उपयोग (एनयूडीजीई)" पहल, सटीक रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने और राजस्व संग्रहण को बढ़ाने पर केंद्रित एक दूरदर्शी, प्रौद्योगिकी-सक्षम और विश्वास-आधारित कर प्रशासन के प्रति सीबीडीटी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

2. 17 नवंबर 2024 को शुरू किए गए पहले एनयूडीजीई अभियान ने उन चुनिंदा करदाताओं को लक्षित किया, जिनके बारे में विदेशी क्षेत्राधिकारियों ने सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान (एईओआई) ढांचे के तहत रिपोर्ट किया था कि उनके पास ऐसी विदेशी परिसंपत्तियां हैं जिनका खुलासा निर्धारण वर्ष 2024-25 की उनकी आयकर विवरणी (आईटीआर) में नहीं किया गया था। इस पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आए, जिसमें 24,678 करदाताओं (जिनमें कई ऐसे भी शामिल थे जिन्हें सीधे तौर पर बढ़ाया नहीं गया था) ने अपनी विवरणी की समीक्षा की और ₹29,208 करोड़ मूल्य की विदेशी परिसंपत्ति और ₹1,089.88 करोड़ की विदेशी स्रोत आय का खुलासा किया।

3. सीबीडीटी को भारतीय निवासियों की विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारी कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स (सीआरएस) के अनुसार साझेदार क्षेत्राधिकारों से और विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त होती है। यह जानकारी संभावित विसंगतियों की पहचान करने और करदाताओं को समय पर और सटीक अनुपालन के लिए मार्गदर्शन करने में सहायता करती है।

4. वित्तीय वर्ष 2024-25 (चालू वर्ष 2024) के लिए एईओआई जानकारी के विश्लेषण से उच्च जोखिम वाले मामलों की पहचान हुई है जहाँ विदेशी परिसंपत्तियाँ मौजूद प्रतीत होती हैं, लेकिन निर्धारण वर्ष 2025-26

के लिए दाखिल आईटीआर में रिपोर्ट नहीं की गई है। तदनुसार, सीबीडीटी दूसरा एनयूडीजीई अभियान शुरू कर रहा है, जिसके अंतर्गत 28 नवंबर 2025 से ऐसे करदाताओं को एसएमएस और ईमेल जारी किए जाएँगे, जिनमें उन्हें दंडात्मक परिणामों से बचने के लिए 31 दिसंबर 2025 को या उससे पहले अपनी विवरणी की समीक्षा और संशोधन करने की सलाह दी जाएगी।

5. इस अभियान का उद्देश्य आईटीआर में अनुसूची विदेशी परिसंपत्ति (एफए) और विदेशी स्रोत आय (एफएसआई) की सही रिपोर्टिंग को सुगम बनाना है। विदेशी परिसंपत्ति और आय का सटीक और पूर्ण प्रकटीकरण आयकर अधिनियम, 1961 और काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत एक वैधानिक आवश्यकता है।

6. कर प्रशासन के प्रति एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए, सीबीडीटी अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने, सूचना विषमता को कम करने और करदाताओं के साथ एक पारदर्शी और विश्वास-उन्मुख इंटरफेस को सुदृढ़ करने के लिए उन्नत डाटा विश्लेषण का उपयोग करता है। यह पहल विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो जवाबदेही, पारदर्शिता और स्वैच्छिक अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देती है।

7. सीबीडीटी सभी पात्र करदाताओं को वैधानिक रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस अवसर का उपयोग करने की सलाह देता है। सीआरएस, एफएटीसीए, अनुसूची एफए और अनुसूची एफएसआई के बारे में अधिक जानकारी के लिए, करदाता आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in देख सकते हैं।

(वी. रजिथा)
आयकर आयुक्त
(मीडिया एवं तकनीकी नीति) एवं
आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी